कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः /XXV–08(Part-2)/2018 देहरादूनः दिनांक 19 मई, 2018.

सेवा में,

MOST-URGENT

अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय एंव फोटोलिथो प्रेस
रूडकी, जनपद हरिद्वार।

विषयः– **05–थराली(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2018–EXIT POLL सम्बन्धी अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018 दिनांक 18 मई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग द्वारा जनपद चमोली की 05–थराली(अ0जा0) विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2018 के दृष्टिगत रखते एग्जिट पोल सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018 दिनांक 18 मई, 2018 की हिन्दी एंव अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आयोग की उक्त अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट दिनांक 18 मई, 2018 में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित गजट की 25–25 प्रतियां तत्काल इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

/

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0 संख्या–983 /xxv–08(Part-2)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली को भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या–576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018 दिनांक 18 मई, 2018एवं आयोग की अधिसूचना संख्या–576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018 दिनांक 18 मई, 2018 की हिन्दी एंव अंग्रेजी प्रति संलग्न सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः –यथोपरि।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Election Urgent

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018 Dated: 18th May, 2018

To,

The Chief Electoral Officer's

1. Maharashtra
2. Nagaland
3. Uttar Pradesh
4. Bihar
5. Jharkhand
6. Kerala
7. Meghalaya
8. Punjab
9. Uttarakhand
10. West Bengal

Sub: - Bye Elections to the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh and in the State Legislative Assembly of Bihar, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal, 2018 –EXIT POLL– regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the Commission's Notification No. 576/Exit/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018, dated 18th May, 2018 with the request that this may be published in an extraordinary issue of the State gazette and a copy thereof may be sent to the Commission for record.

This may be brought to the notice of all concerned including news bureaus, media houses, radio and television channels etc.

Yours faithfully,

Lata Tripathi

(Lata Tripathi)
Under Secretary

To be published in the Gazette of India and the official Gazette of State Government of Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Kerala, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand, and West Bengal.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018 Dated: 18th May, 2018

NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People in the States of Maharashtra, Nagaland & Uttar Pradesh and State Legislative Assemblies of Bihar, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal, have been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/32/2018, dated 26th April, 2018.

2. Whereas, as per the schedule so announced by the Commission, poll for the bye-election in the State of Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Kerala, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand and West Bengal is to be taken on **28.05.2018**; and

3. Whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

4. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M.** and **6.30 P.M.** on **28-05-2018(Monday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any Exit Poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/32/2018, dated 26th April, 2018 from **11-Bhandara-Gondiya, 22-Palghar(ST) Parliamentary Constituencies & 285-Palus Kadegaon Assembly Constituency in Maharashtra, Nagaland Parliamentary Constituency in Nagaland, 2-Kairana Parliamentary Constituency & 24-Noorpur Assembly Constituency in Uttar Pradesh, 50-Jokihat Assembly Constituency in Bihar, 34-Gomia & 61-Silli Assembly**

Constituencies in Jharkhand, 110-Chengannur Assembly Constituency in Kerala, 53-Ampati(ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 32-Shahkot Assembly Constituency in Punjab, 05-Tharali(SC) Assembly Constituency in Uttarakhand and 155-Maheshtala Assembly Constituency in West Bengal, shall be prohibited.

5. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,

(K.F.WILFRED)
SR.PRINCIPAL SECRETARY

भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ तथा महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के शासकीय राजपत्र में पुनः प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 576/एक्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खंड-1/2018 दिनांक : 18 मई, 2018

अधिसूचना

यत: आयोग ने दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/32/2018 के द्वारा महाराष्ट्र, नागालैण्ड एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों हेतु कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है;

2. यत:, आयोग द्वारा इस प्रकार से घोषित कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के उप-निर्वाचन में मतदान 28.05.2018 को कराया जाना है; एवं

3. यत:, लोक प्रतिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा यथा अधिसूचित अवधि तक प्रतिबन्धित है।

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप धारा (1) के अधीन शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के दृष्टिगत, एतद्द्वारा 28.05.2018 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग द्वारा 26 अप्रैल, 2018 के प्रेस नोट द्वारा घोषित महाराष्ट्र के 11-भण्डारा-गौंदिया, 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं 285- पलुस कंडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड के नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 24-नूरपुर विधान सभा क्षेत्र तथा बिहार के 50-जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड के 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, केरल के 110-चेनगान्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय के 53-आमपाती(अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब के 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड को 05-थराली(अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के 155-महेशतला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाल 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

(के. एफ. विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव